न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 95/2006 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

समीर खॉ पुत्र श्री अल्लादीन जाति मुसलमान तेली निवासी अलीपुर जिला भरतपुर, हाल आबाद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर(राज0)

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. कुन्दन } पिसरान रामनाथ
2. धन सिंह }
3. मूलचन्द पुत्र श्री लाला } जाति जोगी निवासी अलीपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।
4. दुर्जन पुत्र रामसहाय }
5. सर्वो(मृत) पत्नी रामसहाय(मृतक)
6. प्रकाश }
7. बलराम } पिसरान मंगती
8. सतीश }
9. कमला वेवा मंगती
10. बन्ता } नाबालिग पुत्री मंगती व विलायत माता कमला वेवा मंगती जाति जोगी निवासी
11. बबली } अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
12. बीना पुत्री रामसहाय } जाति जोगी निवासी अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
13. रतनबाई पुत्री रामसहाय }
14. करन सिंह पुत्र गोकल }
15. मलखान सिंह पुत्र गोकल } जाति मीना निवासी अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
16. रामेश्वर पुत्र वृन्दावन }
17. रामावतार पुत्र वृन्दावन }
18. मुस0 दक्खी वेवा गोकल }
19. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 09.05.05 मि.नं. 269/2001 उनवानी समीर खॉ बनाम कुन्दन।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री तालेराम अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 10.11.2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर में

स्थित है, जो कि अपीलाण्ट/वादी के पूर्वजो की कब्जे काश्त की पैत्रिक आराजी है। परन्तु भारत–पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद उक्त आराजी, सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दी, जो आज तक कागजात पटवार में कस्टोडियन भूमि चली आ रही है एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगया उक्त विवादित आराजी के गैर खातेदार अंकित कर दिये हैं, जबकि विवादित आराजी से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सारोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। अतः दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त वाद में रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 सी0पी0सी0 यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि कस्टोडियन भूमि के संबंध में दावा सुनवाई के अधिकार राजस्व न्यायालय कों नहीं है। अतः दावा खारिज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश रैस्पो0/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषाक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को कस्टोडियन भूमि माना जाकर, इसी आधार पर दावा सुनने योग्य नहीं मानकर खारिज करने में भारी भूल की है। बिना तनकी बनाये क्षेत्राधिकार व मेन्टेबिलिटी तय नहीं की जा सकती, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महज प्रार्थना पत्र पर ही जल्दबाजी से निर्णय पारित किया है, जबकि रैस्पो0/प्रतिवादीगण का जबाव दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी और मैरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रैस्पो0 का इससे कोई संबंध व सारोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में आर0बी0जे0 2001 पेज 285, आर0आर0टी0 2016–17(सप्ली.) पेज 605 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। इसके अलावा कस्टोडियन भूमि बाबत् वाद, राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है, मात्र कस्टोडियन विभाग को ही श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2013 पेज 73 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2005 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.08.2006 को करीब एक वर्ष 3 माह की देरी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कोई तर्कसंगत कारण स्पष्ट नही किया गया है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय, अपीलाण्ट पक्ष को पूर्णतः सुना जाकर, उनकी पूर्ण जानकारी में पारित हुआ है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण वांच्छित था, जो नहीं दिया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही

खारिज योग्य है। चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अपीलाण्ट/वादी स्वयं, दावे की मद संख्या 05 में विवादित भूमि पर कब्जा काश्त ना होना स्वीकार करते हैं। वाद में अंकित किया है कि '' रेलवे विभाग में सर्विस करने के कारण विवादित आराजी पर किसी अन्य का कब्जा भी है। वादी यही समझता रहा कि जब गॉव जांऊगा, तब आराजी पर काश्त करना शुरू कर दूॅगा, लेकिन वादी जब अपने गॉव आया तो पता चला कि उक्त आराजी जो वादी की पैतृक थी, वह सरकार ने कस्टोडियन घोषित करतें हुए, प्रतिवादीगण को गैर खातेदार अंकित कर दिया है'' अतः बिना कब्जे काश्त के अपीलाण्ट/वादी का दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संधारणीय नहीं रहता है।

6. इसके अतिरिक्त Administration of Evacuee. Property Act 1950 अन्तर्गत धारा 28 के अनुसार :–

> " **Finality of orders under this Chapter.** Save as otherwise expressly provided in this Chapter, every order made by the Custodian- General, for Custodian, Additional Custodian, authorized Deputy Custodian, deputy Custodian oa Assistant Custodian shall be final and shall not be called in question in any court by way of appeal or revision or in any original suit, application or execution proceeding "

अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का दावा, उचित ही सुनवाई क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण खारिज किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2005 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

8. निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official